रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72

REGISTERED NO. D. (D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 125] नई दिल्ली बृहस्पतिवार, जून 22, 1978/आषाढ़ 1, 1900
No. 125] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 1978/ASHADHA 1, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 41-आई टी सी (पी एन)/78

नई दिल्ली, 22 जून, 1978

विषय : सहकारी समितियों/वास्तविक उपयोक्ताओं के संघो द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत अनुमेय सेलुलोजीय /गैर-सेलुलोजीय रेशे/धागे का आयात।

सं० आई पी सी/63/36/78.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 31-आई टी सी (पी एन) 78 दिनांक 15 मई, 1978 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें 1978-79 की आयात-निर्यात क्रिया-विधि पुस्तक के पैरा 8 में सहकारी समितियो और वास्तविक उपयोक्ताओं के संघों को अपने सदस्यों की ओर से खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत माल आयात करने की अनुमति देते हुए व्यवस्था की गई है।

2. इस संबन्ध में प्राप्त हुए अभ्यावेदनों के आधार पर यह निश्चय किया गया है कि लघु-पैमाना क्षेत्रों (कुटीर सहित) के वास्तविक उपयोक्ताओ के ऐसे संघ/सहकारी समितियों जिन्होंने अपने निजी सदस्यो को देश में निर्मित नकली रेशम के धागे के वितरण के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा लागू योजना में भाग लिया है वे सेलूलोजीय/गैर-सैलुलोजीय रेशे/धागे की उन किस्मों के आयात कर सकते हैं जो आयात-नीति 1978-79 में खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत है, ये आयात सार्वजनिक सूचना सं० 31 आईटी सी (पी एन)/78 दिनांक 15 मई, 1978 के उस भाग में निर्धारित विस्तृत क्रियाविधि का अनुसरण किए बिना ही किए जा सकते हैं जो इस प्रकार है:—

"सम्बद्ध सहकारी समिति या संघ विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्थित अपने सदस्यों के सबन्ध में अलग से आवेश दे सकते है, धन परेषित कर सकते हैं, साखपत्र खोल सकते हैं, सीमाशुल्क विभाग के माध्यम से माल का सचालन या निकासी कर सकते हैं। सीमाशुल्क विभाग के माध्यम से धन परेषित करते समय सम्बद्ध सहकारी समिति संघ परिशिष्ट 13 में प्रदर्शित प्रपत्र "क" के साथ प्रविष्टि बिल, सदस्यों (भाग लेने वालों) के ब्यौरे, उनके नाम और पते, विनिर्मित अंतिम उत्पाद, प्रत्येक सदस्य के लिए माल का मदवार मूल्य और क्रमशः कुल मूल्य देते हुए एक विवरणपत्र संलग्न करेगी।" अर्थात् ऐसा संघ या सहकारी समिति इस प्रकार कार्य कर सकती है जैसे कि आयात-नीति 1978-79 के परिशिष्ट 10 के उद्देश्य के लिए वह स्वयं एक पात्र वास्तविक उपयोक्ता हो।

3. सीमाशुल्क विभाग के माध्यम से उपर्युक्त अनुसार आयातित माल की निकासी करते समय सम्बद्ध सहकारी समिति/संघ सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को वस्त्र आयुक्त से या तो एक प्रमाणपत्र या एक पत्र इस संबन्ध में प्रस्तुत करेगा कि उक्त आयातक अपने निजी सदस्यों को देसी धागे के वितरण की उक्त योजना में भाग लेता रहा है।

हस्ताक्षरित

का० वें० शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 41—ITC(PN)/78

New Delhi, the 22nd June, 1978

Subject : Import of Cellulosic/Non-Cellulosic fibres/yarns permissible under Open General Licence, by Cooperative Societies/Associations of Actual Users.

No. IPC/63/36/78.—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 31-ITC(PN)/78, dated the 15th May, 1978 in which a provision has been made in para 8 of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1978-79 permitting Cooperative Societies and Assoiations of Actual Users to import goods under Open General Licence on behalf of their members.

2. Based on representations received in this regard, it has been decided that such Associations/Cooperative Societies of Actual Users in the small scale (including cottage) sectors, as have participated in the scheme administered by the Textile Commissioner for the distribution of indigenously made art silk yarn to their own members, may effect imports of those varieties of cellulosic/non-cellulosic fibres/yarn as are under Open General Licence in the Import Poliy, 1978-79, without following the detailed as procedure laid down in that portion of Public Notice No. 31-ITC(PN)/78, dated the 15th May, 1978 which reads :—

> "The concerned Cooperative Society or Association may place orders, effect remittances, open Letters of Credit, arrange movement or clear the goods through the Customs separately in respect of its members situated in different States/Union Territories. While effecting remittance/clearing the goods through the Customs, the concerned Cooperative Society/Association shall attach to the form 'A' appearing in Appendix 13/the Bill of Entry, a statement giving the particulars of the (participating) members, their names and adresses, the end-products manufactured, the item-wise value of goods for each member and the respective aggregate values."

i.e., such Association or Cooperative Society may act as if it were itself an eligible Actual User for the purposes of Appendix 10 of the Import Policy, 1978-79.

3. While clearing the goods imported as above through the Customs, the concerned Cooperative Society/Association shall furnish to the customs authorities either the certificate or a letter from the Textile Commissioner to the effect that the said importer has been participating in the said scheme of distribution of indigenous yarn to its own members.

[No. IPC/63/36/78]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978